—प्रेस नोट—

जनपद मीरजापुर।

दिनांक – 09.06.2022

मीरजापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट का आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹ 5000/- अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई—

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में , अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में , थाना को0देहात पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट का आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा 02 वर्ष की कठोर कारावास एवं ₹ 5000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 23.06.2003 को थानाध्यक्ष को0देहात अभय नरायन राय द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-392/2003 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर Act. बनाम मनोज कुमार सोनकर पुत्र छन्नूलाल सोनकर निवासी टेढ़वा थाना को0शहर जनपद मीरजापुर पंजीकृत किया गया था। थाना को0देहात पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं साक्ष्यों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई। जिसके सफल परिणामस्वरूप उक्त अपराध कारित करने का दोषी पाया गया। आरोपी को दिनांक 09.06.2022 को मा0न्यायालय स्पेशल(J) G. Act. मीरजापुर द्वारा 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹ 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सजायाफ्ता अभियुक्त —

मनोज कुमार सोनकर पुत्र छन्नूलाल सोनकर निवासी टेढ़वा थाना को0शहर जनपद मीरजापुर।